वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 मई 2011—वैशाख 20, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

क्र. बी -4-02-2011-2-पांच (15).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-02-2011-2-पांच (01) दिनांक 25 जनवरी, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के प्रयोजन के लिये प्राप्त होने वाले 60,000/- रुपए तक के ऋण या अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिये, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी हितग्राही द्वारा निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित लिखत पर, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करती है कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो कि हितग्राही इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट के लिये पात्र है.

2. यह आदेश 25 जनवरी 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

क्र. बी -4-02-2011-2-पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक बी -4-02-2011-2-पांच (15) दिनांक 10 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th May 2011

No. B-4-02-2011-2-V(15).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and in supersession of this department's Notification No. F-B-4-02-2011-2-V(01), dated 25th January 2011 the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable under Article 6 of Schedule 1-A of the said Act on an instrument relating to deposit of title deeds, executed by a beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing the repayment of loan or advance upto Rs. 60,000/- to be received by him for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yozna, subject to the condition that a certificate to eligibility to the effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty under this Order is issued by the Collector of the concerned District.

2. This order shall be deemed to have come into force from 25th January 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.